बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक–22/06/2017 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति की बैठक प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली– 1993 एवं 2011 के अन्तर्गत जिलान्तर्गत मैट्रिक प्रशिक्षित की मूल कोटि एवं स्नातक प्रशिक्षित की मूल कोटि में वरीय वेतनमान प्राप्त एवं अर्हताधारी प्रारंभिक शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान एवं ग्रेड पे में द्वितीय उन्नयन में प्रोन्नति देने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में आहूत की गयी जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें–

1. श्री श्रीकृष्ण सिंह – जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर– अध्यक्ष
2. श्री नसीब लाल दास – निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर – सदस्य
3. श्री शशिकान्त पासवान – जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (माध्य० शि० प्र०) बक्सर– सदस्य
4. श्री श्याम नारायण सिंह – जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा स्थापना) बक्सर– सदस्य सचिव
5. श्री शंकर प्रिय– वरीय कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा), बक्सर– सदस्य

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव रखे गए–

1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा स्थापना) बक्सर ने समिति को बताया कि पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के ज्ञापांक 429 दिनांक 02.11.2016 द्वारा 1993 एवं 2011 प्रोन्नति नियमावली के अन्तर्गत प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु शिक्षकों से आवश्यक कागजात संबंधित प्रखण्डों में जमा करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) बक्सर के ज्ञापांक 1491 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा विभिन्न संघों से समझौता वार्ता के पश्चात राजकीय बुनियादी विद्यालय बक्सर में दिनांक 19.12.2016 एवं 20.12.2016 को कैम्प लगाकर शिक्षकों से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा सेवा पुस्तिका की छाया प्रति फोल्डर फाइल में जमा करायी गयी।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) बक्सर के ज्ञापांक 1582 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी श्री अशोक कुमार एवं कार्यालय सहायक श्रीकृष्णा नन्द सिंह की देख रेख में 8 शिक्षकों के सहयोग से वरीय वेतनमान में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों की स्नातक प्रशिक्षित योग्यता एवं मैट्रिक प्रशिक्षित योग्यता के आधार पर अलग–अलग औपबंधिक वरियता सूची तैयार की गयी। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की औपबंधिक सूची में कुल 526 शिक्षक एवं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की औपबंधिक सूची में 874 शिक्षक सूचीबद्ध किये गये।
3. दिनांक 25.03.2017 को जिलास्तरीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रारंभिक शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा स्थापना) बक्सर के ज्ञापांक 157 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा जिला सूचना पदाधिकारी बक्सर को दोनों औपबंधिक बरीयता सूची उपलब्ध कराकर जिला के वेवसाइट पर प्रकाशन कराया गया। साथ ही ज्ञापांक 387 दिनांक 01.04.2017 के द्वारा जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूची की प्रति को उपलब्ध कराते हुए आदेश दिया गया कि इसे अपने सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दिनांक 13.04.2017 के संध्या 5:00 बजे तक आपत्ति प्राप्त कर दिनांक 15.04.2017 तक जिला स्थापना कार्यलय में उपलब्ध कराये।

   दिनांक 15.04.2017 के संध्या 05:00 बजे तक सभी प्रखण्डों से शिक्षकों से प्राप्त आपत्तिया जिला मुख्यालय को प्राप्त हो गयी।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के पत्रांक RMSA/344 दिनांक 14.04.2017 के द्वारा जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी बक्सर को शिक्षकों से आपत्ति प्राप्त करने की अवधि का विस्तार एक सप्ताह के लिए बढ़ाने संबंधी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करने हेतु पत्र निर्गत किया गया।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के ज्ञापांक RMSA/350 दिनांक 19.04.2017 के द्वारा शिक्षकों से प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम रुप से वरीयता सूची तैयार करने हेतु श्री श्यामनारायण सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा बक्सर एवं श्री विजय पासवान कार्यालय सहायक की देख रेख में 5 शिक्षकों के सहयोग से कार्य करने का आदेश निर्गत किया गया।

   शिक्षकों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण निम्न है–

   (I) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रकाशित औपबंधिक सूची पर प्राप्त कुल आपत्तियाँ – 223 स्वीकृत 95 अस्वीकृत 128
   (II) मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रकाशित औपबंधिक सूची पर प्राप्त कुल आपत्तियाँ – 101 स्वीकृत 58 अस्वीकृत 43
   (III) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची में नया नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या – 30 स्वीकृत 13 अस्वीकृत 17
   (IV) मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची में नया नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या – 65 स्वीकृत 42 अस्वीकृत 23
6. औपबंधिक वरीयता सूची पर शिक्षकों से प्राप्त आपत्तियों एवं दावों का निराकरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर द्वारा विभागीय नियमों एवं आदेशों के आलोक में कर लिया गया है।
7. सेवा के दौरान योग्यता वर्धन करने से संबंधित विभागीय कार्यपालक आदेश– निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के ज्ञापांक 143 दिनांक 08.02.2013 का अनुपालन सुनिशिचत किया गया है। जिन शिक्षकों द्वारा योग्यतावर्धन हेतु विभागीय अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, वैसे शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 के अन्तर्गत मैट्रिक प्रशि० योग्यता आधार मान कर प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।
8. सेवा के दौरान योग्यता वर्धन से संबंधित अनुमति के संबंध में कुछ शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत दायर किये गये रिट में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन किया गया है।
9. विभागीय आदेश, निदेशक (प्रा० शि०) बिहार, पटना के ज्ञापांक 225 (विधि) दिनांक 07.06.2012 एवं इसके संलग्न माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में "साहित्यालंकार" की उपाधि को अमान्य कर दिया गया है।
10. शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर अन्य सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है।
11. प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियम 7 एवं नियम 8 के अनुसार शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण करते हुए अंतिम वरीयता सूची तैयार की गयी है। स्नातक प्रशिक्षित एवं मैट्रिक प्राशिक्षत शिक्षकों की अलग–अलग तैयार की गयी अंतिम वरीयता सूची में क्रमशः 261 एवं 1165 शिक्षक सूचीबद्ध किये गये है। स्नातक प्रशिक्षित की मूल कोटि में वरीय वेतनमान प्राप्त एवं अर्हताधारी 8 शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
12. प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत वर्ष 1998 से वर्ष 2010 तक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011 के तहत वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक वरीय वेतनमान में कार्यरत

अर्हताधारी शिक्षकों को क्रमशः प्रवरण वेतनमान एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाना है। प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियम 5 के अनुसार मैट्रिक प्रशिक्षित की मूल कोटि में वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों के प्रवरण वेतनमान देने हेतु कलावधि की गणना शिक्षकों के योग्यता के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011 के नियम 7 के तहत वर्ष 2011 से मैट्रिक प्रशिक्षित की मूल कोटि में 24 वर्षो की संतोष जनक सेवा के बाद उनके ग्रेड पे में द्वितीय उन्नयन दिया जाना है।

13. प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियम 6(2) के तहत वरीय वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का 20% पद ही प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति के लिए उपलब्ध होगें; जिसकी गणना उस वर्ष के 1ली अप्रैल को की जाएगी। एतद् अनुसार वरीय वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों को सूचीबद्ध करते हुए प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को कार्यरत स्थिति के अनुसार गणना कर 20% पद की उपलब्धता की गणना कर ली गयी है। पद की गणना 01 अप्रैल 1998 से 01 अप्रैल 2010 तक की कार्यरत स्थिति के अनुसार वर्षवार की गयी है।

14. मैट्रिक प्रशिक्षित की मूल कोटि में वरीय वेतनमान प्राप्त स्नातक प्रशिक्षित 261 शिक्षकों एवं मैट्रिक प्रशिक्षित 1165 तथा स्नातक प्रशिक्षित की मूल कोटि में वरीय वेतनमान प्राप्त 8 शिक्षकों की अंतिम वरीयता सूची समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा स्थापना) बक्सर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक 11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र04800 पटना–15, दिनांक 01.04. 2016 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार CWJC संख्या 16366/2015 में दिनांक 15/02/2016 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में ज्ञापांक 11218 दिनांक 12/08/2014 को वापस लेते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने संबंधी निर्णय लिया गया है। समिति को यह बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र के अनुसार एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश इस हद तक संशोधित हो गये हैं। इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावीत होंगी।

16. जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति द्वारा प्रवरण वेतनमान एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन में शिक्षकों को दी गयी प्रोन्नति संबंधी आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा स्थापना) बक्सर के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा।

17. प्रवरण वेतनमान से संबंधित निर्गत आदेश से संबंधित किसी मामले पर कोई शिक्षक यदि कोई दावा या आपत्ति करता है तो उसके आवेदन पर कार्यालय द्वारा साक्ष्य सहित विचार किया जाएगा।

18. प्राथमिक शिक्षक संघ, बक्सर के पत्रांक 22 दिनांक 20/06/2017 को प्रोन्नति समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा विभागीय आदेश, निदेशक (प्रा0शि0) बिहार के पत्रांक 225 (विधि) दिनांक 07/06/2012 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 5267 दिनांक 08/07/2016 को समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त साहित्यालंकार की डिग्री को स्नातक के

समकक्ष नहीं माना जाय क्योंकि उक्त पत्रों के आलोक में इसे फर्जी माना गया है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने साहित्यालंकार की डिग्री को प्रस्तुत किया है उसे अमान्य करते हुए उन्हें मैट्रिक योग्यता के आधार पर प्रवरण वेतनमान देने का निर्णय लिया जाय।

19. प्रवरण वेतनमान/द्वितीय वित्तीय उन्नयन हेतु कालावधि पूर्ण करने से पूर्व सेवा निवृत/मृत्यु अथवा स्नातक कोटि में प्रोन्नति पाने वाले सूची में सूचीबद्ध वैसे शिक्षक को प्रवरण वेतनमान/ द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय नहीं होगा।

20. शिक्षक संघ के पत्र में अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन के संबंध में अनुरोध किया गया है। इस पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित सूची को NIC के बेव साइट पर डाल दिया जाय।